No. 2(13)/2008-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

New Delhi, 4th March, 2011.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Decision of the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission relating to re-classification of cities/towns for grant of House Rent Allowance (HRA).

The undersigned is directed to refer to para 6 of this Ministry's O.M. of even number dated 29.08.2008 on the above mentioned subject, vide which the special dispensation for grant of HRA has been allowed to continue to (i) Faridabad, Ghaziabad, Noida & Gurgaon at "X" class city rates and (ii) Jalandhar Cantt., Shillong, Goa & Port Blair at "Y" class city rates and to state that the special dispensation allowed to Panchkula for grant of HRA at par with Chandigarh vide this Ministry's O.M. No.2(2)/2001-E.II(B) dated 16.06.2003, shall also continue.

2. In this context, it is also clarified that any other similar special dispensation allowed by this Ministry in the past in respect of other cities for grant of HRA at higher rates and not specifically mentioned in this Ministry's O.M. of even number dated 29.08.2008, shall continue to apply, if the same has not been superceded/dispensed with or the existing classification of such city has not been revised to a higher classification on account of the population criteria, vide O.M. dated 29.08.2008.

3. These orders shall be effective from 1st September, 2008.

4. All other conditions governing grant of HRA under existing orders shall continue to apply.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

6. Hindi version is attached.

(Anil Sharma)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to C&AG and U.P.S.C., etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.

सं.2(13)/2008-ई.II (बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली 04 मार्च, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए शहरों/कस्बों के पुनवर्गीकरण के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 29.08.2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. के पैरा 6 जिसके तहत (i) फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोयडा और गुड़गांव के लिए "एक्स" श्रेणी के शहरों की दरों पर और (ii) जालंधर छावनी, शिलांग, गोवा और पोर्ट ब्लेयर के लिए "वाई" श्रेणी के शहरों की दरों पर मकान किराया भत्ता का विशेष भुगतान जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है, के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय के दिनांक 16.06.2003 के का.ज्ञा. सं. 2(2)/2001- ई II (बी) के तहत पंचकुला के लिए चंडीगढ़ के बराबर मकान किराया भत्ते की विशेष अनुमति भी जारी रहेगी।

2. इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अन्य शहरों के संबंध में उच्चतर दरों पर मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए विगत में इस मंत्रालय द्वारा अनुमत किसी अन्य समान प्रकार की विशेष अनुमति जिनका दिनांक 29.08.2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जारी रहेंगी, यदि उसका अधिक्रमण नहीं किया गया है/समाप्त नहीं किया गया है अथवा दिनांक 29.08.2008 के का.ज्ञा. के तहत जनसंख्या मापदंड के कारण ऐसे शहर के विद्यमान वर्गीकरण को उच्चतर वर्गीकरण में संशोधित नहीं किया गया है।

3. ये आदेश 1 सितम्बर, 2008 से प्रभावी होंगे।

4. विद्यमान आदेशों के तहत मकान किराया भत्ता को संचालित करने वाली अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

अ० शर्मा
(अनिल शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि।

मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार सी एण्ड एजी और यूपीएससी आदि को प्रति (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।